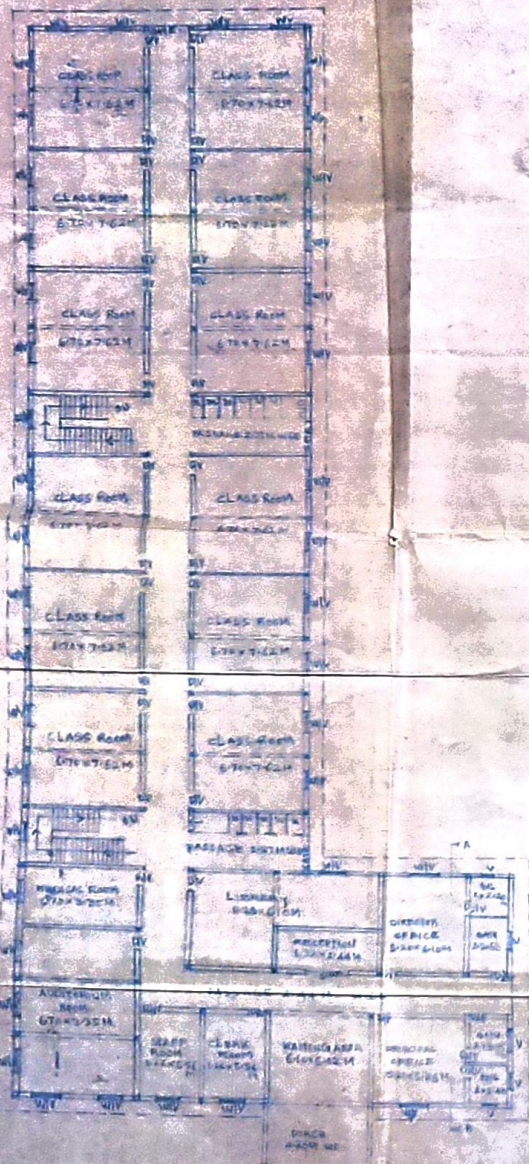
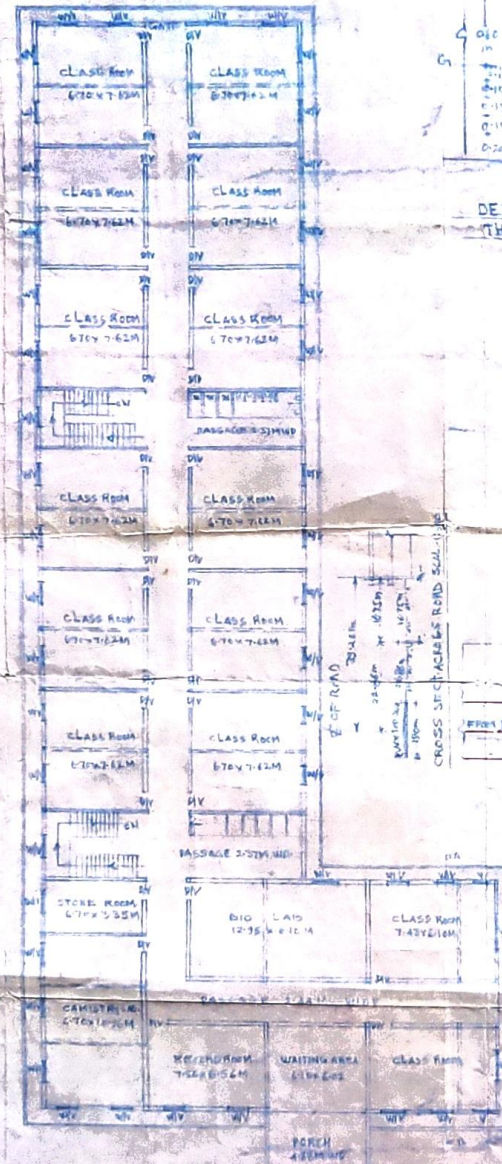


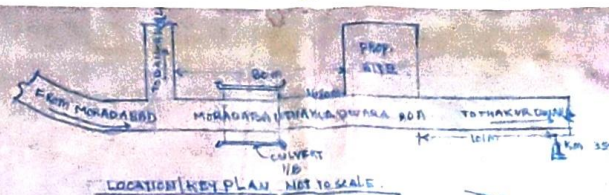
FRONT ELEVATION



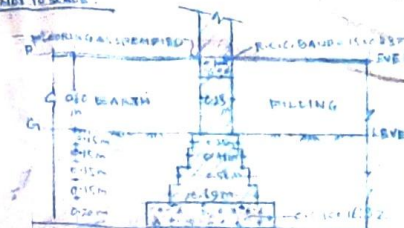
PROPOSED GROUND FLOOR PLAN
SCALE: 1:200



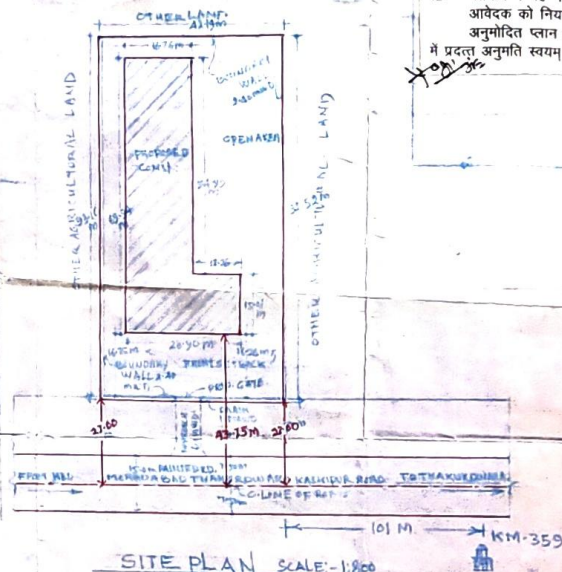
PROPOSED FIRST FLOOR PLAN
SCALE: 1:200



LOCATION KEY PLAN NOT TO SCALE



DETAIL OF FOUNDATION FOR 0.23M THICK BRICK WALL



SITE PLAN SCALE: 1:800

जौधोपरात प्रस्तावित स्थल टिहरी-मुरादाबाद (मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर) राज्य मार्ग संख्या-49 पर स्थित ग्राम रघुनाथपुर के गाटा संख्या-43110 तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के कि०मी०-360 चैनज-359.101 में दायी ओर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के सामने लो०नि०वि० की स्थाई भूमि अमिलेखों के अनुसार 52.00 मीटर है, जो मार्ग के मध्य बिन्दु से 26 मीटर 26.00 मीटर दोनों ओर है। रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट नियमावली-1964 के नियम-7(2) में निहित व्यवस्था के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 27.00 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित बाउन्ड्रीवाल के बाद 16.75 मीटर का सैटबैक छोड़ते हुए मार्ग के मध्य बिन्दु से 43.75 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति वाही गयी है। अनुमति हेतु संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों के साथ की जाती है :-

1. प्रस्तावित निर्माण अनुमोदित प्लान के अनुसार ही करना होगा।
2. निर्माण के सामने आवेदक को आवश्यकतानुसार पानी की निकासी हेतु पुलिया एवं पड्डे मार्ग का निर्माण स्वयं के खर्चे पर विभाग से अनुमति कर अपने स्वामित्व की भूमि में करना होगा।
3. प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने कोई सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा धर्म स्थल नहीं है।
4. अनुमति के उपरान्त निर्माण कार्य एवं के अन्दर प्रारम्भ करना होगा।
5. भू-स्वामित्व के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. प्रस्तावित निर्माण नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. निर्माण सामग्री लो०नि०वि० की भूमि पर एकत्र नहीं होनी चाहिए।
8. प्रस्तावित निर्माण की भूमि का लेविल मार्ग की सतह से 0.50 मीटर नीचा रखना होगा।
9. निर्माण के समय लो०नि०वि० के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. इस मार्ग के लेविल सतह के दोनों ओर लो०नि०वि० की भूमि रिजर्व फॉरेस्ट के अन्तर्गत है तो नियमानुसार आवेदक द्वारा वन विभाग से भी अनुमति प्राप्त करनी होगी।
11. भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ाकरण का आता है, तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही ही जा सकेगी। जिसके त्रिभुज आवेदक सहमत होंगे तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
12. वर्तमान में यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो चुका है, यदि अन्य विभाग से अनुमति की आवश्यकता हो तो आवेदक को नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में प्रदत्त अनुमति स्वयं निरस्त हो जायेगी।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण एवं, सोलियरी
मुण्डव

अभिज्ञा अभियन्ता
कर्मचारी वि०
मुण्डव

PROPOSED BUILDING PLAN OF
AADI PUBLIC SCHOOL
SITE SITUATED AT MORADABAD
THAKURDWARA KASHIPUR & TACCH
NATIONAL HIGHWAY ROAD
(OLD SH-49 ROAD)
VILLAGE- RAGHUNADHPUR
TEHSIL - THAKURWARA
DISTRICT- MORADABAD
GATA NO:- 43110

DEAIL OF AREA
1. TOTAL PLOT AREA = 3920.00 SQM
2. COVD. AREA ON G.F. = 1355.43 SQM
3. OPEN AREA ON G.F. = 2564.57 SQM
4. COVD. AREA ON F.F. = 1355.43 SQM
5. TOTAL COVD. AREA = 2710.86 SQM

NORTH	PLAN ELEVATION SECTION SITE PLAN 1:800 FOUND DETAIL 1:200
SCALE	9.6mm



ARCHITECT SIG

SIG OF APPLICANT